अध्याय VII : गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल

7.1 आवासीय परिसरों के निर्माण में अत्यधिक खर्च

गृह मंत्रालय से प्राधिकृत मापदण्डों की स्वीकृति मिलने के बाद सशस्त्र सीमा बल ने नियत समय पर आवासीय मकानों को बनाने के लिए मानक निश्चित नहीं किए थे। यह 108 आवासीय परिसरों के निर्माण में ₹ 5.19 करोड़ ज्यादा खर्च का कारण बना।

2012-13 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.13 के पैरा सं. 4.3 में सहायक आसूचना ब्यूरो, लखनऊ द्वारा स्टॉफ के आवासीय परिसरों के निर्माण में अनावश्यक देरी से ₹ 2.17 करोड़ की लागत वृद्धि को शामिल किया गया था।

गृह मंत्रालय ने कार्यवाही टिप्पणी में बताया (मई 2013) कि सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (के.स.पु.ब.) को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) से मुख्यालय स्तर पर विलंबित प्रस्तावों पर चर्चा हेतु हर महीने सम्मेलन करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, लागत/समय विस्तार वाली परियोजनाओं की सूची को मासिक आधार पर के.स.पु.ब. मुख्यालय द्वारा के.लो.नि.वि. मुख्यालय को उनके हस्तक्षेप से मुद्दे के निपटान हेतु प्रेषित किया जाए।

एक अलग प्रकरण में, सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.) के आवासीय परिसर के निर्माण की लेखापरीक्षा जांच करने पर अनावश्यक देरी प्रकट हुई जो कि निम्न प्रकार से हैः

स.सी.ब. ने मुख्यालय वाहिनी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 371 आवासीय मकानों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया (जून 2004)। स.सी.ब. की वित्तीय शाखा ने इस तथ्य के आधार पर कि आवासीय मकानों की श्रेणीवार जरूरत गृह मंत्रालय (गृ.मं.) में अंतिम प्रक्रिया में थी, आवश्यकता का संसोधन करके आवासीय मकान (**टाईप-I-140, टाईप-II-48, टाईप-V-I**) 189 कर दिए गए। गृ.मं. ने प्रस्तावित आवासीय मकानों के निर्माण के लिए ₹11.78 करोड़ की मंजूरी प्रदान की (फरवरी 2005)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गृ.मं. ने स.सी.ब. के आवासीय भवनों (**टाईप-I-25, टाईप-II-269, टाईप-V-2**) के लिए प्राधिकृत मापदंडों का अनुमोदन किया (फरवरी 2006)। परिणामस्वरूप यह भवनों की मंजूरी अब 296 हो गई। स.सी.ब. ने प्रारम्भ में स्वीकृत और बाद में प्राधिकृत मकानों की संख्या में वृहत अंतर का अवलोकन करने पर, यथा निम्न वर्णित मात्र 52 मकानों का निर्माण कराने का निर्णय लियाः

टाईप	स्वीकृत मकानों की संख्या	अब प्राधिकृत मकानों की संख्या	उपलब्ध मकानों की संख्या	बनाए जाने वाले मकानों की संख्या
I	140	25	22	**03**
II	48	269	-	**48**
V	1	2	-	**1**

तदनानुसार, स.सी.ब. ने के.लो.नि.वि. से केवल 52 मकानों के बनाने के लिए निवेदन किया (मार्च 2006)। इसने के.लो.नि.वि. को यह भी सूचित किया कि गृ.मं.से अनुमोदित प्राधिकरण प्रतिमानों के अनुसार संशोधित संस्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात शेष श्रेणी के मकानों के लिए निर्णय बता दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने स.सी.ब. की तरफ से संशोधित संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए मंत्रालय से मामले को उठाने में विलम्ब पाया। स.सी.ब. ने इस मुद्दे को जनवरी 2009 में उठाया और वो भी के.लो.नि.वि. द्वारा मामले को जल्दी निपटाए जाने के अनुरोध करने के बाद। इसमें 33 माह (अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2008) तक विलम्ब हुआ। के.लो.नि.वि. ने ये भी बताया कि 52 मकान ₹ 4.10 करोड़ की लागत पर बनाए गए।

तदपरांत, स.सी.ब. ने गृ.मं. को अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु संस्वीकृति के संशोधन के लिए संपर्क किया (जनवरी 2009)। जैसा कि विवरण नीचे दिया गये हैं:

क्र.सं.	टाईप	पूर्व में संस्वीकृत मकानों की सं.	बनाए गए मकानों की सं.	अन्य प्रकारों में/से अंतरण हेतु प्रस्तावित मकानों की सं.	अंतरण के पश्चात कुल सं.
1.	टाईप I	140	03	137[1]	03
2.	टाईप II	48	48	108	156 (48+108)
3.	टाईप V	01	01	-	1
	योग	**189**			**160**

गृह मं. ने 160 आवासीय मकानों के निर्माण हेतु संशोधित संस्वीकृति प्रदान की (मार्च 2009)। तथापि लो.नि.वि. ने पुरानी दरों पर निर्माण कार्य शुरू करने में अपनी असमर्थता जताई और ₹ 21.06 करोड़ का एक संशोधित प्रारंभिक प्राक्कलन प्रस्तुत किया। के.लो.नि.वि. ने प्राक्कलन में वृद्धि के लिए सामग्री एवं श्रम के बढ़े हुए कीमत को जिम्मेदार ठहराया। स.सी.ब. ने ₹ 21.06 करोड़ के संशोधित व्यय संस्वीकृति को प्राप्त करने के लिए गृ.मं. से संपर्क किया (अगस्त 2010) जिसे सितम्बर 2010 में प्रदान

[1] न्याधार क्षेत्र के समतुल्य को दृष्टि में रखते हुए 137 टाईप-I मकानों को 108 टाईप-II मकानों में बदलना प्रस्तावित था।

किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि के.लो.नि.वि. द्वारा ₹ 16.75 करोड़ की लागत से 91 *प्रतिशत* निर्माण कार्य जनवरी 2013 तक पूरा कर लिया गया था।

इस प्रकार, स.सी.ब. की एक समयबद्ध तरीके से मामले के निपटाने में विफलता परियोजना पर ₹ 5.19 करोड़ के उल्लेखनीय कीमत वृद्धि में परिणत हुआ। (**विवरण अनुबंध-11 में**)।

स.सी.ब. ने बताया (मई 2013) कि गृ.मं. द्वारा लागत के संसोधन मे लिया गया समय प्रक्रियात्मक था और इसमें के.लो.नि.वि. से परियोजना की प्रकृति एवं विशेष परिस्थितियों जिसमें यह शुरू किया गया था, के संबंध में पत्राचार एवं स्पष्टीकरण मांगना शामिल था।

स.सी.ब. ने अपने तर्क के समर्थन में दस्तावेजीप्रमाण उपलब्ध नहीं कराया था। इसके अतिरिक्त उत्तर स.सी.ब. के अभिलेखों से मेल नहीं खाता है जो स्पष्टतः स्थापित करता है कि मार्च 2006 के बाद और दिसम्बर 2008 तक मंत्रालय से संशोधित संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु विषय को उठाया नहीं गया था जो ₹ 5.19 करोड़ के लागत वृद्धि में परिणत हुआ।

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब)

7.2 अनियमित प्रापण

फील्ड दूरभाष केबल का प्रापण करते समय सी.सु.ब. का निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण करने में विफलता के परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 1.45 करोड़ की हानि हुई।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 150 निर्धारित करता है कि ₹ 25 लाख या अधिक के अनुमानित कीमत के सामान के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए। सा.वि.नि. केवल इन मामलों में प्रक्रिया से विचलन की अनुमति देता हैः (i) जहां मंत्रालय या विभाग में सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि अत्यावश्यकता की दृष्टि से विज्ञापति निविदा पूछताछ के माध्यम से प्रापण नहीं किए जाने के कारण किया गया कोई भी अतिरिक्त व्यय न्यायसंगत है या (ii) आपूर्ति के स्त्रोत निश्चित रूप से ज्ञात है तथा पहले से ही उपयोग हो रहे स्त्रोतों से परे नए स्त्रोत की संभावना, अल्प है। आगे,

सा.वि.नि. का नियम 154 मंत्रालय या विभाग से एकमात्र स्त्रोत से माल के प्रापण से पूर्व उपयुक्त वस्तु प्रमाणपत्र[2] (उ.व.प्र.) प्रदान करने की अपेक्षा करता है।

संचार उद्देश्यों हेतु सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्ल्यू.डी.-I का उपयोग करता है।

महानिदेशक, सी.सु.ब. ने मैसर्स ऑर्डिनेंस केबल फेक्टरी (ओ.सी.एफ.), चण्डीगढ़ से ₹ 5.43 करोड़ की लागत (₹ 7384 प्रति कि.मी. की दर) पर 7290 किलोमीटर (कि.मी.) की फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्ल्यू.डी.-I (एच.डी.पी.ई.) का प्रापण किया (जून 2009)। यह प्रापण उ.व.प्र. आधार पर किया गया था।

सी.सु.ब. ने उ.प.प्र. आधार पर 2000 कि.मी. की अतिरिक्त लम्बाई की फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्ल्यू.डी.-I (एच.डी.पी.ई.) के प्रापण हेतु उसी कम्पनी से नई निविदाएं आमंत्रित की (सितम्बर 2010)। हांलाकि, ओ.सी.एफ. द्वारा परिनिर्धारित क्षति (प.क्ष.) तथा वितरण अवधि उपधाराओं की अस्वीकृति के कारण, केबल के प्रापण की निविदा को खत्म कर दिया गया था (अक्तूबर 2010)। तत्पश्चात सी.सु.ब. ने केबल के प्रापण हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2011)। फरवरी 2011 में आमंत्रित खुली निविदा के प्रति चार कम्पनियों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की थीं। मैसर्स नेटवर्क केबल जिसने ₹ 5462 प्रति किलोमीटर की दर उद्धरित की थी, उसे सबसे कम बोली (एल-1) लगाने वाला घोषित किया गया था। सी.सु.ब. ने ₹ 1.09 करोड़ की निविदा में दी गई राशि पर कंपनी को आपूर्ति आदेश दिया (अक्तूबर 2011)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009 में सी.सु.ब. द्वारा प्रापण की गई फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्ल्यू.डी.-I (एच.डी.पी.ई.), उ.व.प्र. मद नहीं थी, जैसा कि फरवरी 2011 में सी.सु.ब. द्वारा आमंत्रित खुली निविदा पर प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है। इस प्रकार, इस मामले में सा.वि.नि. के नियम 154 में निहित प्रावधान लागू नहीं होते थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी.सु.ब. द्वारा उपयुक्त उ.व.प्र., 2008 के दौरान ओ.सी.एफ. द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार, जून 2009 में ओ.सी.एफ. को आपूर्ति आदेश देने से पूर्व सी.सु.ब. द्वारा उ.व.प्र. की प्रयोज्यता की पुष्टि नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, 2009-10 के दौरान ओ.सी.एफ. से सी.सु.ब. द्वारा प्राप्त किया गया केबल 2011[3] में मैसर्स नेटवर्क केबल द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में ₹ 1922 (₹ 7384 -₹ 5462) प्रति

---

[2] इसका प्रमाणपत्र कि केवल एक विशेष कंपनी ही आवश्यक सामान की निर्माता है।

[3] यह तुलना इस तथ्य की दृष्टि में न्यायसंगत है कि सितम्बर 2010 में ओ.एफ.सी. द्वारा उद्धिष्ट केबल का मूल्य ₹ 8800 प्रति कि.मी. था जिसने वृद्धि की प्रवृति प्रदर्शित की।

कि.मी. अधिक था। अतः, ओ.सी.एफ. से फील्ड दूरभाष केबल (जे.डब्लयू.डी.) के प्रापण पर सी.सु.ब. को कम से कम ₹ 1.45 करोड़ की हानि हुई।

सी.सु.ब. ने बताया (सितम्बर 2012) कि यद्यपि एल-1 कंपनी विशिष्टताओं को पूरा करता था, लेकिन ओ.सी.एफ. चण्डीगढ़ द्वारा आपूर्ति की गई फील्ड दूरभाष केबल जे.डब्लयू.डी-I (एच.डी.पी.ई.) की मजबूती एंव बनावट, परिष्कार, गुणवत्ता, खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जो आपूर्ति की गई है, में सर्वथा ज्यादा बेहतर एवं श्रेष्ठतर है।

सी.सु.ब. का तर्क, तथ्यों से नहीं निकला है क्योंकि मैसर्स नेटवर्क केबल के आवश्यक तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के पश्चात ही उसे फील्ड दूरभाष केबल (जे.डब्लयू.डी.) का आपूर्ति आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एक स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा मैसर्स नेटवर्क केबल द्वारा प्रदान किया गया केबल का नमूना, सी.सु.ब. की विशिष्टताओं का अनुपालन करता हुआ पाया गया था।

सी.सु.ब. ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय ने तत्पश्चात् ओ.सी.एफ. से एकल स्त्रोत आधार पर 1000 कि.मी. लम्बाई की कैरियर क्वाड केबल के इसी प्रकार के प्रापण की अनुमति दी थी (अगस्त 2011)। मंत्रालय ने देखा कि इस मामले में उ.व.प्र. की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कंपनी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग थी।

यह उत्तर सा.वि.नि. के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाता क्योंकि उनमें सरकारी विभाग से प्रापण हेतु विशेष व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, बोली की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह राय बनाने मे असमर्थ है कि क्या इस प्रापण हेतु कीमत प्रतिस्पर्धात्मक थी।